बिहार विधान सभा सचिवालय

निविदा आमंत्रण सूचना

NIT No.- 01/2025

बिहार विधान सभा सचिवालय, माननीय अध्यक्ष महोदय का आवासीय कार्यालय–02, देशरत्न मार्ग, सचिव, बिहार विधान सभा के आवासीय कार्यालय 09, हार्डिंग रोड एवं बिहार विधान सभा के अतिथि निवास में अधिष्ठापित विन्डो ए०सी० स्टेबलाईजर के साथ 57 अदद्, स्पीलीट ए०सी० स्टेबलाईजर के साथ 210 अदद्, (जिसमें 149 दो वर्ष के लिए एवं 61 ए०सी० शेष अवधि के लिए), कॉलम/टावर ए०सी०–02 अदद् रेफ्रिजरेटर 07 अदद्, गीजर–19 अदद्, वाटर कूलर–14 अदद् एवं वाटर प्यूरिफायर (आर०ओ०)–53 अदद् का वार्षिक संपोषण दो वर्ष के लिए ख्याति प्राप्त एवं पर्याप्त अनुभव रखने वाले आपूर्तिकर्त्ताओं, प्रतिष्ठानों एवं संवेदकों से सीलबंद लिफाफा में निविदायें दिनांक–4/2/25 को 3.00 बजे पूर्वा०/अप० तक सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय के पदनाम से उनके कार्यालय कक्ष में यथा निर्धारित शर्त्तों के अधीन आमंत्रित की जाती है।

सभी प्राप्त निविदायें दिनांक–4/2/25 को 4.00 बजे पूर्वा०/अप० में प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के कार्यालय कक्ष में क्रय समिति के समक्ष खोली जायेंगी, जिसमें निविदादाता स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

निविदा एवं इससे संबंधित निर्धारित शर्तें निम्न प्रकार है :–

1. निविदादाता अपनी निविदा सभी ए०सी०, रेफ्रिजरेटर, गीजर, वाटर कूलर, एवं वाटर प्यूरिफायर (आर०ओ०) का भौतिक निरीक्षण के पश्चात् समर्पित करेंगे।
2. निविदा के साथ फर्म/प्रतिष्ठानों का निबंधन प्रमाण–पत्र, जी०एस०टी० नम्बर, अद्यतन आयकर का चुकता प्रमाण–पत्र, कार्य अनुभव (तीन वर्षों का), एक वर्ष में न्यूनतम टर्नओवर 25,00,000/– (पच्चीस लाख) रूपये मात्र एवं विद्युत कार्य करने का लाईसेंस तथा निविदा के कवर पर फर्म/प्रतिष्ठानों का पूरा नाम/दूरभाष/मोबाईल नम्बर अंकित होना चाहिए।
3. ए०सी०, रेफ्रिजरेटर, गीजर, वाटर कूलर, एवं वाटर प्यूरिफायर (आर०ओ०) की मरम्मती (पार्टस, कम्प्रेशर इत्यादि का रिप्लेसमेंट सहित) के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
4. सभी ए०सी० रेफ्रिजरेटर एवं गीजर का मौसमी परिचालन पूर्व उसकी सर्विसिंग (Servicing) मरम्मति अनिवार्य होगी जो उनके अधिष्ठापित स्थान पर ही की जाएगी।

5. सभा सचिवालय के द्वारा ए०सी०, रेफ्रिजरेटर, गीजर, वाटर कूलर, एवं वाटर प्यूरिफायर (आर०ओ०) की संख्या में बदलाव किया जा सकता है।
6. संधारणकर्त्ता को नियमित रूप से ए०सी०, रेफ्रिजरेटर, गीजर, वाटर कूलर, एवं वाटर प्यूरिफायर (आर०ओ०) का निरीक्षण कर मरम्मति का कार्य करना होगा तथा संबंधित उपकरण खराब होने की सूचना प्राप्त होते ही तुरन्त संबंधित स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी और यथाशीघ्र खराबी दूर कर उसे चालू करना आवश्यक होगा। इस कार्य हेतु स्थायी रूप से कम से कम दो मैकैनिक की प्रतिनियुक्ति सभा सचिवालय में अनिवार्य होगी।
7. कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में 15 (पंद्रह) दिनों के पूर्व सूचना देकर कभी भी कार्यादेश को विखंडित/रद्द कर दिया जायेगा।
8. वार्षिक रख–रखाव की गणना कार्यादेश निर्गत होने की तिथि एवं एकरारनामा की कार्रवाई के बाद 02 (दो) वर्ष के अवधि के लिए मान्य होगी।
9. वर्णित उपकरणों के सम्पोषण के उपरान्त कार्य संतुष्टि प्रमाण–पत्र के अधार पर 06(छः) माह के अवधि का भुगतान किया जा सकेगा।
10. निविदा को बिना कारण बाताये रद्द/अस्वीकृत करने का सर्वाधिकार सभा सचिवालय को सुरक्षित रहेगा।

23/11/25

अवर सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।